प्रशासन संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव
Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (U.T.)
मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय
Office of the Chief Conservator of Forests
दमन / Daman

No. 1-3/655/FD/RRs/DNH&DD/T/2022/ 2181 Date: 31/10/2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Order No.7/1/65-Est.(A) dated 10th February, 1965 and Department of Personnel and Training, New Delhi O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 18th January 2017, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu hereby amends the Rules relating to recruitment to the General Central Services, Group "C" (Non-Gazetted, Non-Ministerial) post of Forester, in the Office of the Deputy Conservator of Forests, UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

1. **Short Title and commencement :**

(i) These rules may be called, the Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Forester, Group 'C' (Non-Gazetted, Non-Ministerial) posts Recruitment Rules, 2023.
(ii) These shall apply to the posts specified in column-1 of the Schedule to these rules.
(iii) These rules will come into effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and will relate to appointment to the various posts made on or after this date.

2. **Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix :-**

The number of the post, classification of the said posts and the Level in the Pay Matrix attached there to shall be as specified in Column 2 to 4 of the Schedule to these rules.
Provided that, the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu may vary the number of posts in column 2 of the said Schedule from time to time subject to exigencies of work.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:-**

The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating therewith shall be as specified in column 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification:-**

No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or; (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the service.
Provided that the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-**

Where the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving :-**

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the other special categories or persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

By Order and in the name of theAdministrator of
Dadra & Nagar Haveli andDaman & Diu

31.10.23
Director-Cum-Deputy Secretary,
Forest, Environment &Wildlife, DNH&DD

To

The Joint Secretary (Planning & Statistics), UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Secretariat, Daman for publication in the Gazette and arrange to send 10 copies of the Gazette Notification.

Copy to :-

1 The SIO, NIC, Daman for uploading on the official website of UT Administration of DNH & DD.
2 The Deputy Director (OL), Daman for Hindi version.
3 All Heads of Office, DNH & DD.
4 Concerned File.

Scanned with CamScanner

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FORESTER
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

SCHEDULE

<table>
<tr><th>Name of Post</th><th>No. of post</th><th>Classification</th><th>Level in Pay Matrix</th><th>Whether Selection post or non-selection post</th><th>Age limit for direct recruits</th><th>Educational and other qualifications required for direct recruits</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr>
<td>Forester</td>
<td>*19
(DNH : 19, DD : 00)
Subject to variation dependent on workload.</td>
<td>General Central Service,
Group 'C',
Non - Gazetted,
Non - Ministerial</td>
<td>Level-5 in the Pay Matrix. (Rs.29200-Rs.92300)
(PB-1 + GP Rs. 2800/-
pre-revised)</td>
<td>For direct recruitment : Not Applicable for promotion : selection-cum-seniority</td>
<td>Between 18 and 27 years
(Relaxable for Govt. Servants up to 5 years in accordance with the Order/Instructions issued by the Govt. of India from time to time).
(The upper age limit is relaxable for departmental and SC/ST candidates as per Govt. of India's guidelines)</td>
<td>Essential:
Must have passed HSC(Class 12th) Examwith atleast 50% marks from any Govt. recognised Board / Institute with English as one of the subject.
Physical Standard (Minimum)
Medical and Fitness Certificate from the Chief Medical Officer.

Height and Chests
For Males:
<table>
<tr><th>Category</th><th>Height</th><th colspan="2">Chest</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Normal (minimum)</td><td>Expanded</td></tr>
<tr><td>Other than ST</td><td>163 Cms.</td><td>79 Cms.</td><td>84 Cms. | 05 Cms.</td></tr>
<tr><td>ST candidates</td><td>158 Cms</td><td>76 Cms.</td><td>81 Cms. | 05 Cms.</td></tr>
</table>
For Females:
<table>
<tr><th>Category</th><th>Height</th><th colspan="2">Chest</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Normal minimum</td><td>Expanded</td></tr>
<tr><td>Other than ST</td><td>150Cms.</td><td>74Cms.</td><td>79Cms. | 05 Cms.</td></tr>
<tr><td>ST candidates</td><td>142Cms</td><td>71Cms.</td><td>76Cms. | 05 Cms.</td></tr>
</table>
Walking Test
Male : 25 Kms. Within 4 Hours
Female : 14 Kms. Within 4 Hours

The selected candidate on appointment will have to successfully complete the Forestry Training Course within probation of 02 years, failing which they will not be eligible to draw increment.
Candidate must pass written requirement test consisting the subject (a) English (b) General Knowledge (c) Science (Physics, Chemistry, Maths / Biology).</td>
</tr>
</table>

5. **Power to relax:-**

Scanned with CamScanner

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF FORESTER
U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

SCHEDULE

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ Deputation/Absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	02 (Two) Years in case of direct recruitment	50% by Promotion and 50% by direct recruitment	PROMOTION from Forest Guard with 10 Years of regular service in the grade.	Group 'C' D.P.C. as constituted from time to time.	Not Applicable

31.10.23

Director-Cum-Deputy Secretary,
Forest, Environment &Wildlife
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Scanned with CamScanner

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव प्रशासन
Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (U.T.)
मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय
Office of the Chief Conservator of Forests
दमण / Daman

सं. 1-3/655-FD/भर्ती नियम/डीएनएच एवं डीडी/टी/2022/2181 दिनांक : 31/10/2023

अ धि सू च ना

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 7/1/65-स्था.(ए) दिनांक 10 फरवरी, 1965 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का.ज्ञा. सं.एबी-14017/13/2016-स्था. (भर्ती नियम) दिनांक 18 जनवरी 2017 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव एतद्‌द्वारा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव, उप वन संरक्षक के कार्यालय में सामान्य केंद्रीय सेवाएँ, **वनपाल वर्ग 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय) के** पद हेतु भर्ती से संबंधित नियमों में संशोधन करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-

(i) इन नियमों को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव प्रशासन, **वनपाल वर्ग 'ग' (अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय)** भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाएगा ।

(ii) इन नियमों की अनुसूची की कॉलम -1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होगा ।

(iii) यह नियमों सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और इस तिथि को या उसके बाद विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्ति से संबंधित होगा |

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-

पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं उससे जुड़ा वेतन मैट्रिक्स का स्तर इन नियमों के साथ संलग्नित अनुलग्नक की अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए है । बशर्ते कि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव, कार्य की अनिवार्यताओं के विषय में समय समय पर उक्त अनुसूची की कॉलम 2 में पदों की संख्या को बदल सकता है

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं आदि:-

उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ और उससे संबंधित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए गए हैं ।

4. अयोग्यता:- कोई भी ऐसा व्यक्ति;

(क) जो अपने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह का अनुबंध करता है

अथवा :

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, वह सेवा की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । बशर्ते कि प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव, यदि संतुष्ट हों कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिक विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं ।

5. छूट देने का अधिकार:-

जहाँ प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित हो, तो उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट देकर किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति को छूट दे सकते हैं।

6. व्यावृत्ति:-

इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जानेवाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं होगा ।

प्रशासक दादरा एवं नगर हवेली तथा
दमण व दीव के आदेश एवं नामानुसार।

मनोज

निदेशक-सह-उप सचिव,
वन एवं पर्यावरण तथा वन्य जीवन

सेवा में,

संयुक्त सचिव (योजना एवं सांख्यिकीय), संघ प्रदेश प्रशासन दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव, सचिवालय, दमण को राजपत्र में प्रकाशन करने हेतु तथा राजपत्र अधिसूचना की 10 प्रतियाँ भेजने की व्यवस्था करने हेतु ।

Scanned with CamScanner

वनपाल के पद के लिए भर्ती नियम

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव प्रशासन

अनुसूची

<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>पद की संख्या</th><th>वर्गीकरण</th><th>वेतन मैट्रिक्स में लेवल:</th><th>क्या चयन पद या गैर-चयन पद है।</th><th>सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा</th><th>सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षणिक और अन्य योग्यताएँ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr>
<td>वनपाल</td>
<td>*19
(दानहः 19, डीडी : 00)
कार्यभार पर निर्भर रखते हुए .</td>
<td>सामान्य केंद्रीय सेवा वर्ग 'ग '
अराजपत्रित), अलिपिकवर्गीय)</td>
<td>वेतन मैट्रिक्स में लेवल -5
(Rs.29200-92300)(पीबी-1+ग्रेपी रु.2800 पूर्व संशोधित)</td>
<td>सीधी भर्ती के लिए :लागू नहीं
पदोन्नति के लिए: चयन एवं वरिष्ठता</td>
<td>18 से 27 वर्ष के बीच
(समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश/अनुदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) (भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार विभागीय एवं अनु.जाति/अनु.जन जाति उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट)</td>
<td>आवश्यक:
एक अंग्रेजी विषय के रूप में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से कम से कम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक स्कूल (कक्षा 12 वीं) उत्तीर्ण होना चाहिए।
शारीरिक मानक (न्यूनतम)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र
ऊंचाई और छाती
(क) पुरुषों के लिए :
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>ऊंचाई</th><th colspan="3">छाती</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सामान्य (न्यूनतम)</td><td>विस्तारित</td><td></td></tr>
<tr><td>अ.ज.जा.के अलावा अन्य</td><td>163 सेमी.</td><td>79 सेमी.</td><td>84 सेमी.</td><td>05 सेमी.</td></tr>
<tr><td>अ.ज.जा. के उम्मीदवार</td><td>158 सेमी.</td><td>76 सेमी.</td><td>81 सेमी.</td><td>05 सेमी.</td></tr>
</table>
(ख) महिलाओं के लिए:
<table>
<tr><th>श्रेणी</th><th>ऊंचाई</th><th colspan="3">छाती</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सामान्य (न्यूनतम)</td><td>विस्तारित</td><td></td></tr>
<tr><td>अ.ज.जा.के अलावा अन्य</td><td>150 सेमी.</td><td>74 सेमी.</td><td>79 सेमी.</td><td>05 सेमी.</td></tr>
<tr><td>अ.ज.जा. के उम्मीदवार</td><td>142 सेमी.</td><td>71 सेमी.</td><td>76 सेमी.</td><td>05 सेमी.</td></tr>
</table>
3) वॉकिंग टेस्ट
पुरुष : 25 कि.मी. 4 घंटे के भीतर
महिला : 14 कि.मी. 4 घंटे के भीतर
4) नियुक्ति होने पर चयनित उम्मीदवार को 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर वे वेतन वृद्धि पाने के पात्र नहीं होंगे। उम्मीदवार को लिखित भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें विषय (क) अंग्रेजी (ख) सामान्य ज्ञान) विज्ञान (भौतिकी), रसायन विज्ञान, गणित/जीव विज्ञान) शामिल हो।</td>
</tr>
</table>

Scanned with CamScanner

वनपाल के पद के लिए भर्ती नियम

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव प्रशासन

अनुसूची

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नत उम्मीदवारों के मामले में लागू होगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति क्या स्थानांतरण आमेलन / द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा तथा विभन्न द्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियाँ की प्रतिशतता ।	पदोन्नति स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन के मामले में वह ग्रेड जिस में / आमेलन किया जाना है । / पदोन्नति	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसकी संरचना क्या है ।	किन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी है ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	सीधी भर्ती के मामले में 02 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा 50% एवं सीधी भर्ती द्वारा 50%	ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले वन रक्षक से पदोन्नति।	ग्रुप "ग" विभागीय पदोन्नति समिति /विभागीय चयन समिति जैसा कि समय-समय पर गठित किया जाता हो ।	लागू नहीं

मनोज

निदेशक-सह-उप सचिव,
वन एवं पर्यावरण तथा वन्य जीवन
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण व दीव

Scanned with CamScanner